हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 132

शुक्रवार, 3 **मार्च**, 2017/12 **फाल्गुन**, 1938(**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 **बजे (पूर्वाह्न)**

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तर:**

(i) **तारांकित प्रश्न**:

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3530 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3694 से 3698 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3699 से 3707 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्न**:

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1482, 1553 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1570 से 1576 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **कागज़ात सभा पटल पर :**

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, **वन मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, हिमाचल वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एफ0एफ0ई-ए(बी)2-17/2015 दिनांक 22.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2016 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन परिक्षेत्र अधिकारी,वर्ग-॥ (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ0एफ0ई-ए(बी)2-1/2014 दिनांक 04.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.10.2016 को प्रकाशित।

3. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :**

श्री रविन्द्र सिंह, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

दिनांक 26 फरवरी, 2017 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक: "**ऑपरेशन के बाद मरीज़ की आंखों की रोशनी गई**" से उत्पन्न स्थिति ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, Motion of Thanks to the Governor पेश हो रहा है। हमने उसमें तीन अमैंडमैंट्स दी थी जो कि within time and immediately after the Governor's Address दी है। लेकिन वे तीनों नोटिफाई नहीं हुई है। अभी मैंने सचिवालय से पता किया तो कहा जा रहा है कि वे हमें बिना सूचना दिए रिजैक्ट कर दी गई हैं। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में लोक सभा और राज्य सभा को जब भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय सम्बोधित करते हैं या विधान सभा को राज्यपाल सम्बोधित करते हैं तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर अमैंडमैंट्स दी जाती है कि यह विषय नहीं आया है इसलिए हम संशोधन चाहते हैं। उनको रिजैक्ट नहीं किया जा सकता है।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज, श्री रविन्द्र सिंह और श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने दिनांक 1 मार्च, 2017 को जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के लिए सूचना दी है उसमें क्रमशः उल्लेख किया गया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दी गई चार्जशीट पर कोई कार्रवाई करने का उल्लेख नहीं हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय उच्च मार्गों की घोषणा के उपरांत की गई कार्रवाई बारे अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया गया है। तीसरा, केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु दी गई धनराशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया गया है जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के हिन्दी अनुवाद के क्रम संख्या 44, 64 व 126 पर सभी संशोधनों के वर्णित विषयों का उल्लेख किया गया है जिसके दृष्टिगत इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया गया है जैसे कि प्रक्रिया नियमों के नियम 297(5) में प्रावधित है। फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो इन बिन्दुओं पर चर्चा में भाग ले सकते हैं।

(**माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय से असन्तुष्ट विपक्ष ने अपराह्न** 12.35 **बजे सदन से वॉक आऊट किया**)

4. **<u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:</u>**

श्री जगजीवन पाल ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:-

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 का उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

(**अपराह्न** 12.50 **बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुन: उपस्थित हुए**)

श्री संजय रतन ने प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया तथा चर्चा की।

(**अपराह्न** 1.35 **बजे सदन की बैठक सोमवार, दिनांक** 6 **मार्च**, 2017 **के अपराह्न** 2.00 **बजे तक स्थगित हुई**)